

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: चि.प्रशा./2025/58(F13)

दिनांक: 8/5/2025

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं व सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को निर्देशित किया जाता है कि बिना सक्षम स्तर की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक:

क्रमांक: चि.प्रशा./2025/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
5. प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय।
6. निदेशक (आरसीएच), मुख्यालय।
7. अति० निदेशक (चि.प्रशा/राजपत्रित/ग्रा० स्वा०/आरसीएच/प्लान) मुख्यालय।
8. नोडल अधिकारी, एमएनडीवाई/एमएनजेवाई/एम्बुलेंस/ब्लड मुख्यालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
11. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालनार्थ।
12. संबंधित जिला प्रभारी, मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य की अपने स्तर से भी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।